

2019 का विधेयक संख्यांक 26

[दि एप्रोप्रिएशन बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

विनियोग विधेयक, 2019

वित्तीय वर्ष 2018-19 की सेवाओं के लिए भारत की संचित
निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय
और विनियोग को प्राधिकृत
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग अधिनियम, 2019 है ।
2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से
5 अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग उन्नीस खरब, अठासी अरब, इक्तीस करोड़,
छत्तीस लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के
स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान संदाय किए
जाने होंगे, संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी ।
3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित
10 किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त
सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

संक्षिप्त नाम ।

वित्तीय वर्ष 2018-19
के लिए भारत की
संचित निधि में से
19,88,31,36,00,000
रुपए का निकाला
जाना ।

विनियोग ।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2	3		
		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारत	योग
		₹	₹	₹
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व 1,93,87,02,00,000	..	1,93,87,02,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व 2,00,000	..	2,00,000
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	राजस्व 2,01,16,00,000 पूंजी 1,00,000	..	2,01,16,00,000 1,00,000
4	परमाणु ऊर्जा	राजस्व 4,00,000 पूंजी 23,75,50,00,000	..	4,00,000 23,75,50,00,000
5	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	राजस्व 53,43,00,000	..	53,43,00,000
7	उर्वरक विभाग	राजस्व 1,00,000	..	1,00,000
8	भेषजीय विभाग	राजस्व 3,07,23,00,000 पूंजी 3,95,00,000	..	3,07,23,00,000 3,95,00,000
9	नागर विमानन मंत्रालय	राजस्व 98,00,000	..	98,00,000
10	कोयला मंत्रालय	राजस्व 10,94,00,000	..	10,94,00,000
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व 3,10,01,00,000	..	3,10,01,00,000
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व 2,00,000 पूंजी 16,33,00,000	..	2,00,000 16,33,00,000
13	डाक विभाग	पूंजी 46,87,00,000	..	46,87,00,000
14	दूरसंचार विभाग	राजस्व 1,00,000 पूंजी 1,00,000	..	1,00,000 1,00,000
15	उपभोक्ता मामले विभाग	पूंजी 1,00,000	..	1,00,000
16	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व 18,64,71,00,000 पूंजी 10,00,00,00,000	..	18,64,71,00,000 10,00,00,00,000
18	संस्कृति मंत्रालय	राजस्व 2,00,000	..	2,00,000

1	2	3			
		रु०	रु०	रु०	
19	रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण)	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
		पूंजी	3,00,000	2,16,00,000	2,19,00,000
20	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	राजस्व	14,03,97,00,000	..	14,03,97,00,000
21	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	पूंजी	..	97,42,00,000	97,42,00,000
24	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	राजस्व	53,91,34,00,000	..	53,91,34,00,000
25	पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
26	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	राजस्व	20,91,00,000	..	20,91,00,000
27	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
29	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	4,00,000	..	4,00,000
		पूंजी	3,00,000	..	3,00,000
31	वित्तीय सेवाएं विभाग	पूंजी	45,00,00,00,000	..	45,00,00,00,000
34	प्रत्यक्ष कर	राजस्व	2,99,96,00,000	..	2,99,96,00,000
35	अप्रत्यक्ष कर	पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
36	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	पूंजी	25,55,00,000	..	25,55,00,000
	भारित--ब्याज संदाय	राजस्व	..	91,96,65,00,000	91,96,65,00,000
	भारित--ऋण का पुनर्संदाय	पूंजी	..	10,65,94,12,00,000	10,65,94,12,00,000
40	राज्यों को अंतरण	पूंजी	..	38,00,84,00,000	38,00,84,00,000
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	29,16,52,00,000	..	29,16,52,00,000
		पूंजी	19,74,90,00,000	..	19,74,90,00,000
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
44	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	10,00,00,000	..	10,00,00,000
45	लोक उद्यम विभाग	राजस्व	1,00,00,000	..	1,00,00,000
46	गृह मंत्रालय	राजस्व	6,01,00,000	..	6,01,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
47	पुलिस	राजस्व	46,11,62,00,000	1,00,000	46,11,63,00,000
		पूंजी	1,00,000	12,00,000	13,00,000
48	अंदमान और निकोबार द्वीप	राजस्व	1,06,53,00,000	..	1,06,53,00,000
		पूंजी	8,00,000	..	8,00,000
50	चंडीगढ़	राजस्व	24,67,00,000	..	24,67,00,000
		पूंजी	9,00,000	..	9,00,000

1	2	3	रु०	रु०	रु०
51	दादरा और नागर हवेली	राजस्व	19,86,00,000	..	19,86,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
53	लक्षद्वीप	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
54	दिल्ली को अंतरण	पूंजी	2,59,00,000	..	2,59,00,000
55	पुडुचेरी को अंतरण	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	49,61,00,000	..	49,61,00,000
56	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	राजस्व	76,35,00,00,000	..	76,35,00,00,000
		पूंजी	6,00,02,00,000	..	6,00,02,00,000
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व	47,62,75,00,000	..	47,62,75,00,000
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	7,84,33,00,000	..	7,84,33,00,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व	11,77,00,000	..	11,77,00,000
60	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राजस्व	10,24,79,00,000	..	10,24,79,00,000
61	विधि और न्याय	पूंजी	16,37,14,00,000	..	16,37,14,00,000
62	निर्वाचन आयोग	पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
	भारित--भारत का उच्चतम न्यायालय	राजस्व	..	7,47,00,000	7,47,00,000
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
65	खान मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
66	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
67	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
72	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	13,64,19,00,000	..	13,64,19,00,000
73	योजना मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
74	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	28,50,00,00,000	..	28,50,00,00,000
		पूंजी	9,00,00,00,000	..	9,00,00,00,000
	भारित--राष्ट्रपति के कर्मचारिवृंद, गृह और भत्ते	राजस्व	..	42,00,000	42,00,000
77	राज्य सभा	राजस्व	23,37,00,000	..	23,37,00,000
80	रेल मंत्रालय	राजस्व	..	46,00,00,000	46,00,00,000
		पूंजी	1,00,000	1,91,65,00,000	1,91,66,00,000
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
		पूंजी	96,83,50,00,000	..	96,83,50,00,000
82	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000

1	2	3			
		₹0	₹0	₹0	
84	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
85	जैव प्रौद्योगिकी	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
87	पोत परिवहन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	1,25,00,00,000	..	1,25,00,00,000
88	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	राजस्व	80,02,00,000	..	80,02,00,000
90	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	राजस्व	17,74,00,000	..	17,74,00,000
91	अंतरिक्ष विभाग	राजस्व	1,68,07,00,000	..	1,68,07,00,000
		पूंजी	2,48,47,00,000	..	2,48,47,00,000
92	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
93	इस्पात मंत्रालय	राजस्व	1,24,00,000	..	1,24,00,000
94	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
		पूंजी	13,00,00,000	..	13,00,00,000
96	जनजातीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	20,00,00,000	20,02,00,000
97	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
98	महिला और बाल विकास मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
99	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
योग		:	7,88,74,50,00,000	11,99,56,86,00,000	19,88,31,36,00,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए, जो भारत की संचित निधि पर भारत अनुपूरक व्यय और लोक सभा द्वारा केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं, पुरःस्थापित किया जा रहा है।

पीयूष गोयल